



मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

सोमवार, दिनांक 22 फरवरी, 2021 (फाल्गुन 3, शक संवत् 1942)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:01 बजे समवेत हुई.

सामयिक अध्यक्ष महोदय (श्री रामेश्वर शर्मा) पीठासीन हुए.

1. राष्ट्रगीत 'वन्दे मातरम्' का समूहगान

सदन की कार्यवाही राष्ट्रगीत 'वन्दे मातरम्' के समूहगान से प्रारम्भ हुई.

2. सामयिक अध्यक्ष द्वारा उद्बोधन

श्री रामेश्वर शर्मा, सामयिक अध्यक्ष महोदय ने सदन के माननीय सदस्यों को यह अवगत कराया कि –
“विधान सभा का यह सत्र कोविड-19 के संबंध में जागरूकता एवं संयुक्त प्रयासों से संक्रमण में राहत तथा वैक्सिन के उपयोग के निर्मित विश्वास के वातावरण में आहूत किया गया है. परन्तु अभी भी इस महामारी से बचाव हेतु पूर्ण सतर्कता और सावधानी जरूरी है. अतः हमारा यह दायित्व है कि इस वायरस के संक्रमण से बचाव के लिये सामूहिक रूप से सावधानी का पालन करते हुए संवैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां पूर्ण की जायें.

माननीय सदस्यों की सुरक्षा के संबंध में विधान सभा परिसर में माननीय सदस्यों एवं संबद्ध अधिकारियों / कर्मचारियों के लिये रैपिड टेस्ट, थर्मल स्क्रीनिंग तथा सेनीटाइजेशन आदि के साथ स्वास्थ्य परीक्षण संबंधी व्यवस्था की गयी है. साथ ही यहां सभा-भवन, समीपस्थ के स्थलों एवं आसनों को सतत सैनेटाईज किया गया है. सदन में आसनों के मध्य उपयुक्त दूरी को दृष्टिगत रखकर प्रायोगिक रूप से अभी सामान्य बैठक व्यवस्था की गयी है, परन्तु दीर्घां रिक्त रखी गयी हैं, जिससे आवश्यकता पड़ने पर बैठक व्यवस्था परिवर्तित की जा सकती है. सदन में माननीय सदस्यों के उपयोग हेतु मास्क, फेस कवर व सैनेटाइजर की व्यवस्था की गयी है. आप सबसे अनुरोध है कि कोरोना से बचाव हेतु कृपया परस्पर दूरी एवं मापदण्ड का पालन करने के साथ सदन की कार्यवाही में भाग लेते समय मास्क का अनिवार्यतः उपयोग करें. वैकल्पिक रूप से इच्छुक माननीय सदस्यों के लिये एन.आई.सी केन्द्रों के माध्यम से वर्चुअल तथा ऑनलाईन उपस्थिति की व्यवस्था भी की गई है.

प्रदेश में कोरोना प्रकरणों की निरंतर कमी हो रही है तथा वैक्सीनेशन भी जारी है, परन्तु समग्र स्थिति को ध्यान में रखते हुए सहमति अनुसार इस सत्र में वित्तीय, विधायी व अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को संपादित किया जाना है. माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कार्यवाही प्रतिदिन यथा-समय सम्पादित हो सके, कृपया इस हेतु सहयोग प्रदान करें. मुझे विश्वास है कि आप सभी माननीय सदस्यों के इस व्यवस्था में सहयोग से हम सुरक्षित रहकर अपने कर्तव्य का निर्वहन एवं सत्र संबंधी कार्यवाही कुशलता से पूरी कर सकेंगे. इस अपेक्षा के साथ आप सभी के उत्तम स्वास्थ्य हेतु मंगल कामना करता हूँ.

मुझे दिनांक 2 जुलाई, 2020 को सभा का सामयिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया था. तदनुसार मैंने लगभग पौने आठ महीने इस पद को सम्हाला. यह मध्यप्रदेश विधान सभा में किसी भी सामयिक अध्यक्ष का सबसे लंबा कार्यकाल है.

यह माना जाता है कि सामयिक अध्यक्ष से ज्यादा अपेक्षा नहीं की जाती है. लेकिन मेरा मानना रहा है कि विधान सभा तो जनता का मंच है. इस दृष्टि से मैंने नवाचार के साथ लंबित कार्यों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया और जन-समस्याओं को दूर करने के लिए अपने स्तर पर पहल की. कोविड-19 के संक्रमण काल में माह सितम्बर, 2020 में आहूत सत्र में एक दिवसीय बैठक हुई और मुझे सदन संचालन का अवसर प्राप्त हुआ. इसे मैं अपने अनुभव के लिए एक सुनहरा समय मानता हूँ.

इस अवसर पर मैं सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष, सभी माननीय मंत्रिगण एवं सदस्यगण के प्रति धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने सत्र संबंधी कार्यों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग एवं समर्थन दिया. मैं विधान सभा सचिवालय के प्रमुख सचिव, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी धन्यवाद देता चाहता हूँ, जिन्होंने विभिन्न कार्यों को सम्पन्न करने में अपनी पूरी क्षमता से कार्य किया. बहुत कम अवधि में मेरा उनसे एक आत्मीय संबंध बन गया है, जो अविस्मरणीय है. मैं प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी मित्रों का भी आभारी हूँ, जिन्होंने लोकतंत्र के इस मंदिर से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से आमजन तक पहुँचाया. अंत में एक बार पुनः आप सबके प्रति आभार और कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ”.

3. अध्यक्ष का निर्वाचन

सामयिक अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि अध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए प्रस्ताव की ग्यारह सूचनाएं दिनांक 21 फरवरी, 2021 को मध्याह्न पूर्व तक प्राप्त हुई हैं. तदनुसार:-

- (1) श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि :-
“श्री गिरीश गौतम, जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का अध्यक्ष चुना जाये.”
डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव का समर्थन किया.
- (2) श्री विश्वास सारंग, चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि :-
“श्री गिरीश गौतम, जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का अध्यक्ष चुना जाये.”
डॉ. अरविन्द सिंह भदौरिया, सहकारिता मंत्री ने प्रस्ताव का समर्थन किया.
- (3) डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि :-
“श्री गिरीश गौतम, जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का अध्यक्ष चुना जाये.”
- (4) श्री नागेन्द्र सिंह (गुड), सदस्य ने प्रस्ताव किया कि :-
“श्री गिरीश गौतम, जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का अध्यक्ष चुना जाये.”
श्री राजेन्द्र शुक्ल, सदस्य ने प्रस्ताव का समर्थन किया.
- (5) श्री रामपाल सिंह (सिलवानी), सदस्य ने प्रस्ताव किया कि :-
“श्री गिरीश गौतम, जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का अध्यक्ष चुना जाये.”
श्री विष्णु खत्री, सदस्य ने प्रस्ताव का समर्थन किया.
- (6) श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह, खनिज साधन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि :-
“श्री गिरीश गौतम, जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का अध्यक्ष चुना जाये.”
श्रीमती कृष्णा गौर, सदस्य ने प्रस्ताव का समर्थन किया.
- (7) श्री पंचूलाल प्रजापति, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि :-
“श्री गिरीश गौतम, जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का अध्यक्ष चुना जाये.”
श्री रघुनाथ सिंह मालवीय, सदस्य ने प्रस्ताव का समर्थन किया.
- (8) श्री दिव्यराज सिंह, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि :-
“श्री गिरीश गौतम, जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का अध्यक्ष चुना जाये.”
श्री सुरेन्द्र पटवा, सदस्य ने प्रस्ताव का समर्थन किया.
- (9) श्री प्रदीप पटेल, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि :-
“श्री गिरीश गौतम, जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का अध्यक्ष चुना जाये.”
श्रीमती लीना संजय जैन, सदस्य ने प्रस्ताव का समर्थन किया.
- (10) श्री के.पी. त्रिपाठी, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि :-
“श्री गिरीश गौतम, जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का अध्यक्ष चुना जाये.”
श्री हरिसिंह सप्रे, सदस्य ने प्रस्ताव का समर्थन किया.
- (11) श्री कमल पटेल, किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि :-
“श्री गिरीश गौतम, जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का अध्यक्ष चुना जाये.”
श्री विजयपाल सिंह, सदस्य ने प्रस्ताव का समर्थन किया.

तदुपरांत श्री कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष एवं डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने भी कांग्रेस दल की ओर से अध्यक्ष पद के निर्वाचन के उक्त प्रस्ताव का समर्थन किया.

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ.

सामयिक अध्यक्ष महोदय ने श्री गिरीश गौतम को सर्वसम्मति से अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित घोषित किया तथा उन्हें अध्यक्षीय आसंदी पर आसीन होने के लिये आमंत्रित किया. श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, श्री कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष, डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री, डॉ. गोविन्द सिंह एवं अन्य सदस्यगण द्वारा श्री गिरीश गौतम को अध्यक्ष की आसंदी पर आसन ग्रहण कराया गया.

4. नवनिर्वाचित अध्यक्ष का स्वागत एवं बधाई

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, श्री कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष, डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री एवं श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति, सदस्य द्वारा श्री गिरीश गौतम, सदस्य को विधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई दी गई. अध्यक्ष महोदय द्वारा उनके प्रति व्यक्त उदगारों के लिए माननीय सदस्यगण के प्रति कृतज्ञता प्रकट की गई.

5. कार्य मंत्रणा समिति की घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 203 (1) के अधीन कार्य मंत्रणा समिति के लिए निम्नलिखित सदस्यों को वर्ष 2021-2022 की अवधि में सेवा करने के लिए नाम- निर्दिष्ट किया गया :-

- (1) श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री
- (2) श्री कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष
- (3) डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री
- (4) श्री जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री
- (5) श्री गोपाल भार्गव, लोक निर्माण मंत्री
- (6) श्री तुलसीराम सिलावट, जल संसाधन मंत्री
- (7) श्री भूपेन्द्र सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री
- (8) श्री बिसाहूलाल सिंह, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री
- (9) कु. मीना सिंह मांडवे, आदिम जाति कल्याण मंत्री
- (10) डॉ. गोविंद सिंह, सदस्य
- (11) श्री के. पी. सिंह 'कक्काजू', सदस्य
- (12) श्री कांतिलाल भूरिया, सदस्य
- (13) श्री सज्जन सिंह वर्मा, सदस्य
- (14) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति(एन.पी.), सदस्य

माननीय अध्यक्ष, मध्यप्रदेश विधान सभा उक्त समिति के पदेन सभापति होंगे.

सदन की कार्यवाही पूर्वाह्न 11.57 बजे स्थगित की जाकर 12.32 बजे पुनः समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए.

6. राज्यपाल का अभिभाषण

श्रीमती आनंदीबेन पटेल, राज्यपाल महोदया का चल समारोह के साथ सभा भवन में आगमन हुआ. राज्यपाल महोदया ने अभिभाषण के पश्चात् अपराह्न 1.13 बजे चल समारोह के साथ सभा भवन से प्रस्थान किया.

7. राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव की प्रस्तुति

डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य ने यह प्रस्ताव किया कि :-

‘राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया, उसके लिए मध्यप्रदेश की विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं’

श्री बहादुर सिंह चौहान, सदस्य ने इसका समर्थन किया.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

अध्यक्ष महोदय द्वारा राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर चर्चा के लिए दिनांक 24 एवं 25 फरवरी, 2021 का समय नियत किया गया. तदनुसार, माननीय सदस्यों द्वारा कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव में संशोधन आज दिनांक 22 फरवरी, 2021 को सायंकाल 5 बजे तक विधान सभा सचिवालय में दिये जा सकते हैं.

अपराह्न 1.19 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 23 फरवरी, 2021 (4 फाल्गुन, शक सम्वत् 1942) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

भोपाल:
दिनांक: 22 फरवरी, 2021.

ए. पी. सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.